भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1227

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ऑप्टोमेट्रिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय विनियामक ढांचे की आवश्यकता

1227 **डा. अजीत माधवराव गोपछड़े:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत की एक बड़ी आबादी दैनिक कार्यकलापों के लिए चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस पर निर्भर है, जिससे सटीक दृष्टि सुधार एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा और जनस्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है;
(ख) क्या दृष्टिमिति (ऑप्टोमेट्रिक) सेवाओं, जिसमें नेत्र परीक्षण, प्रिस्क्रिप्शन की सटीकता, लेंस की गुणवत्ता, फिटिंग प्रथाएँ और पेशेवर जवाबदेही शामिल हैं, के लिए एक समान राष्ट्रीय विनियामक तंत्र की अनुपस्थिति दृष्टि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और सड़क दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी हो सकती है; और
(ग) क्या सरकार सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों की जांच करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक सांविधिक राष्ट्रीय ऑप्टिकल विनियामक बोर्ड स्थापित करने का विचार रखती है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सर्वेक्षण, त्वरित परिहार्य अंधता आकलन (आरएएबी) 2019 के आंकड़ों के अनुसार, 50 वर्ष से अधिक आयु की 13.4% आबादी और 50 वर्ष से कम आयु की 29.6% आबादी में दृष्टिहीनता का कारण अपवर्तक दोष हैं।

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग (एनसीएएचपी) का गठन, अन्य के साथ-साथ एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 की अनुसूची में सूचीबद्ध सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों द्वारा शिक्षा एवं सेवाओं के मानकों के विनियमन एवं रखरखाव के लिए किया गया है। दृष्टिमितिज्ञ वृत्ति (आईएससीओ कोड 2267) एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 की अनुसूची के क्रमांक 5 (नेत्र विज्ञान वृत्तिक) के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग (एनसीएएचपी) द्वारा 24.04.2025 को नेत्र विज्ञान का पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जो एनसीएएचपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन को विनियमित करता है। दृष्टि सुधार के लिए अभिप्रेत चश्मे/कॉन्टैक्ट लेंस चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण के रूप में विनियमित हैं और उसे उक्त नियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए लागू मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है।

*****